## ORDER - SHEET

(1) 12 1

Date of

order or

JUDISIAL MAGISTRATE FIRST CLASS

Order or Proceeding with Signature of Presiding Officer Signature

1 Signature of Parties of pleaders where

Necessary

Proceeding ०६ डो) आज आरक्षी केन्द्र के उपनिशिक्षक / सहायक अरक्षक / आरक्षक / प्रधान आरक्षक / आरक्षक 21 सहायक

क्0 ..... द्वारा थाना प्रभारी की

के0 38// अंतर्गत धारा 279,377 भाठदं०सं०/ 279,3337 अधिनियमके अधीन दण्डनीय अपराध के संबंध में अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग -

पत्र / परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया।

राज्य द्वारा ए०डी०पी०ओ० श्री. 1541 वर्ग

अभियुक्त / अभियुक्तगण ५११ वाया ९ ० एक छ। ० एक छ।

निवासी / निवासीगण ६-5 ( (वर्ग 85 - 21 न

थानां..... जिलां. 19183 राज्य उपरिधत। अभियुक्त/अभियुक्तगण की ओर से अधिवक्ता श्री मेमोरेण्डम / वकालतनामा प्रस्तुत किया।

अभियोग पत्र / परिवाद पत्र समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया गया 言

प्रकरण में संज्ञान के विषय पर विचार किया गया। अभियोग। पत्र/परिवाद पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से प्रथम दृष्ट्या अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध उंपरोक्तानुसार। भाउदं०सं० / 279, 33) अधिनियम के अधीन कार्यवाही किये जाने के आधार प्रकट हो रहे हैं। अतः अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 190-(1) द०प्र० के अधीन संज्ञान लिये जाने का आदेश कियः जाता है।

प्रकरणं का पंजीयन आपराधिक पजी... 85//७ में दर्ज किया जावे।

अभियुक्त / अभियुक्तगण द०प्र०स० की धारा २०७ के अधीन प्रावधानों। के प्रकाश में अभियोग पत्र एवं दस्तावेजो की पठनीय प्रति निःशुल्क दिलायी जाये।

चूंकि अपराध जमानती प्रकृति का है। अतः अभियुक्त / अभियुक्तगण की ओर से 7000 / - (सात हजार रूपये) की प्रतिभृति व इतनी ही राशि। का व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्त्त किया जाये तो अभियुक्त को अभिरक्षा से मुक्ता किया जाये।

चूकि मामला सिक्षप्त विचारणीय है। अत सिक्षप्त विचारण प्रारम् किया गया। अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 27,9 33) भाठदे०स० / अधिनियम के अधीन अपराध की विशिष्टियां विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाये और समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया। अतः अभिदाक् यथा समव उसके शब्दों में लेखबद्ध किया गया।

अभियुक्त / अभियुक्तगण की स्वेच्छया अपराध की स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखते हुए निर्णय प्रथक से टिकित कराकर हस्ताक्षरित, दिनांकित, मुद्रांकित कर घोषित किया गया। अभियुक्त को उक्त अपराध के अधीन दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय अवसान तक की अवधि के दण्ड एवं (55 हणा किया) रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड के सदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को (25 का दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

निर्णय की निःशुल्क प्रति अभियुक्त को प्रदान कर पावती ली

। जाये।

जप्तसुदा संपत्ति भाटी कि कि स्वार्थ राजसात मृत्यहीन होंने से नष्ट कर व्ययनित की जाये। जप्तसुदा बाहन की दशा में वाहन उसके स्वामी को लौटाया जाये। सुपुर्दगी की दशा में सुपुर्दगीनामा निरस्त किया जाता है तथा अपील की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशों का पालन हो।

प्रकरण का परिणाम आपराधिक पंजी में पंजीबद्ध कर विहित अविध में अभिलेख संचयन हेतु आवश्यक प्रतिपूर्ति उपरांत अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

A.R. Guata J. J. Judicial magistrate linst class,

Gohad Dist. Bhind (M.P)

पुनश्चः

निर्णयानुसार अभियुक्त/अभियुक्तगण ने अर्थदण्ड की राशि।

क्रिक हुआ है।

क्रिक 690.2 रसीद क्रिक 16 मई।

अभियुक्त / अभियुक्त गण को राजा भुगताई गई।

प्रकरण उपरोक्त निर्देश अनुसार संचितं हो।

A.K.Gunijio

Judicial magistrate lirst class

5